



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218778
CG-DL-E-18032020-218778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1021]
No. 1021]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

का.आ. 1129(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (5) तथा धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;

(ख) “विवाद” का अर्थ अपीलीय फोरम के समक्ष घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील, रिट या फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका या अपील या विशेष इजाजत याचिका, माध्यस्थता, सुलह, या आरंभ की गई मध्यकता, या उसके लिए दी गई सूचना, या दाखिल किए गए आक्षेप या आयकर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष दाखिल किए जाने वाले, या आयकर अधिनियम की धारा 264 के अधीन फाइल किए गए आवेदन है;

(ग) “पात्र तलाशी मामले” से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जिसमें कोई निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किया गया है और विवादित कर की रकम पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ङ) "घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे" से ऐसे मुद्दे अभिप्रेत हैं जिनके संबंध में—

- (i) अपीलीय फोरम के समक्ष आयकर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील, या रिट, या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या अपील या विशेष इजाजत याचिका फाइल की जानी है या
- (ii) घोषणाकर्ता द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है या विवाद समाधान पैनल के समक्ष कोई आक्षेप फाइल किया गया है या फाइल की जानी है, जिस पर वह आयकर अपीलीय अधिकरण (जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में पहले से ही कोई निर्णय हुआ है या उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है), या
- (iii) आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है जहां उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में कोई पहले से ही निर्णय हुआ है;

(च) "धारा" से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं।

3. घोषणा और वचनबंध का प्ररूप.- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-1 में की जाएगी।

(2) धारा 4 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट वचनबंध घोषणा के साथ-साथ प्ररूप-2 में दी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन घोषणा और उपनियम (2) के अधीन वचनबंध को, यथास्थिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अनुसरण में, अपनी ओर से आय के विवरणी सत्यापित करने हेतु घोषणाकर्ता या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

(4) घोषणा की प्राप्ति पर अभिहित प्राधिकारी उसकी अभिस्विकृति का इलैक्ट्रॉनिक रूप से एक रसीद देगा।

4. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र का प्ररूप.- अभिहित प्राधिकारी प्ररूप-3 में धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. संदाय की सूचना.- अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसरण में किए गए संदायों का ब्योरा प्ररूप-4 में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा अपील, रिट याचिका, विशेष इजाजत याचिका, माध्यस्थता, सुलह, मध्यकता या फाइल किए गए दावा के प्रत्याहरण के सबूत के साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाएगा।

6. देने की रीति.—नियम 3 में निर्दिष्ट प्ररूप-1 और प्ररूप-2 तथा नियम 5 में निर्दिष्ट प्ररूप-4 अंकीय हस्ताक्षर के तहत इलैक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, यदि आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के तहत देने के लिए या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से अन्य मामलों में देने की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए "इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 12 में निर्दिष्ट किया गया है।

7. अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश .- धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के संदाय के संबंध में धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-5 में आदेश दिया जाएगा।

8. प्रक्रिया, रूपविधान और मानकों का अभिकथन.- मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप-1 में घोषणा करना और सत्यापित करना, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन प्ररूप-2 में वचनबंध देने और सत्यापित करना, नियम 4 के अधीन प्ररूप-3 में प्रमाणपत्र का जारी करने, नियम 5 के अधीन प्ररूप-4 में संदाय की सूचना और प्रत्याहरण का सबूत देने और नियम 7 के अधीन प्ररूप-5 में आदेश को जारी करने के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों का अभिकथन करेगा तथा मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उक्त घोषणा, वचनबंध, प्रमाणपत्र, सूचना और आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखन और पुनः प्राप्ति की नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है.- (1) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद आयकर अधिनियम के अधीन अग्रणीत होने के लिए हानि या शेष अवक्षयण में कटौती से संबंधित है, घोषणाकर्ता को यह विकल्प होगा कि—

(i) रकम का संदाय हानि या शेष अवक्षयण द्वारा पर अधिभार और उपकर को सम्मिलित करते हुए विवादित कर में कमी करता है और हानि या शेष अवक्षयण में कटौती की ऐसी रकम को छोड़कर हानि या शेष अवक्षयण को अग्रणीत करते हुए कर को शामिल करना; या

(ii) हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रणीत करना।

(2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो, पश्चातवर्ती वर्षों में हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रणीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु वर्ष के अंतिम दिन आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य को, उसके संबंध में जिसमें शेष अवक्षयण की कटौती की गई है, शेष अवक्षयण में कटौती की रकम द्वारा वृद्धि नहीं होगी:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण इसकी कटौती के पूर्व अग्रणीत की गई हानि की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, **रकम का 5/8वां** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

10. ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय की कमी की गई है.—

(1) जहां अग्रणीत होने के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय में कटौती के संबंध में निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद है, घोषणाकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि—

(i) ऐसी रकम को शामिल करें जिसके द्वारा अग्रणीत होने वाली एमएटी प्रत्यय की विवादित कर में कटौती की गई है और कटौती की ऐसी रकम को छोड़ते हुए एमएटी प्रत्यय को अग्रणीत किया गया है, या

(ii) कटौती की गई एमएटी प्रत्यय को अग्रणीत करना।

(2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो पश्चातवर्ती वर्षों में कमी की गई एमएटी प्रत्यय की रकम को अग्रणीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय इसकी कटौती के पूर्व अग्रणीत की गई एमएटी प्रत्यय की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रणीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, **रकम का 5/8** जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए एमएटी प्रत्यय का अर्थ, आयकर अधिनियम की धारा 115जकक और धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार कर प्रत्यय है।

11. कतिपय मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति- (1) जहां विवाद में घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे सम्मिलित हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में विवादित कर ऐसी रकम होगी जो विवाद में सभी मुद्दों पर संदाय अधिभार और उपकर को सम्मिलित करते हुए कर देता है, वही अनुपात घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दों के संबंध में विवादित आय के रूप में विवाद के सभी मुद्दों के संबंध में विवादित आय के लिए देता है।

प्ररूप-1 (नियम 3 देखें) घोषणा पत्र भरने के लिए प्ररूप																													
भाग क – सामान्य जानकारी																													
पैन/ आधार													आवेदक का नाम	टैन								मोबाईल संख्या							
ई-मेल पता																													
पात्रता से संबंधित जानकारी																													
आवेदक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (डीटीवीएसबी) की धारा 2 के निबंधनानुसार आवेदक है और डीटीवीएसबी की धारा 9 के निबंधनानुसार आवेदन करने के लिए अयोग्य																													
आवेदक द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प घाटे या मूल्यहास या मैट क्रेडिट की कमी पर कर का भुगतान करने का चयन यदि हां ए के अधीन सुसंगत अनुसूची के लिए जाना; यदि अनुसूची घ नहीं भरता है																													
भाग ख – विवाद से संबंधित जानकारी																													

कर बकाया की प्रकृति	विवादित कर / विवादित ब्याज / विवादित जुर्माना / विवादित शुल्क	विवादित कर के संबंध में अपील के अधीन कवर की गई घोषणा और विवादित कर के संबंध में अधिरोपित किया गया जुर्माना। हां/नहीं	
आदेश का विवरण जिसके द्वारा कर बकाया निर्धारित किया गया है	(ई-उपयोगिता में उपबंध करने के लिए ड्रॉप डाऊन)	लंबित मामलों के ब्यौरे* अपील/याचिका/एसएलपी/डीआरपी आक्षेप/पुनर्विलोकन आवेदन- *लंबित मामलों में फाइल किया जाना भी सम्मिलित है	(ई-उपयोगिता में उपबंध करने के लिए ड्रॉप डाऊन)

भाग ग – कर बकाया से संबंधित जानकारी			
(i)	कर बकाया (अनुसूची के अनुसार)		
भाग घ – देय राशि से संबंधित जानकारी			
(ii)	घटीवीएसबी के अधीन देय कुल राशि यदि 31.03.2020 के बाद भुगतान किया जाता है	सुसंगत अनुसूची से भ से उठाना (दोनों निर्धारित तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)	
(ii)	घटीवीएसबी के अधीन देय कुल राशि यदि 31.03.2020 के बाद भुगतान किया जाता है	सुसंगत अनुसूची से म से उठाना (दोनों निर्धारित तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)	

भाग ड – कर बकाया के विरुद्ध भुगतान से संबंधित जानकारी			
(i)	घोषणाकर्ता ने घोषणा पत्र फाइल करने से पहले कर बकाया के विरुद्ध कोई भुगतान किया है या नहीं?	हां	नहीं
(ii)	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण भरें		
क्रम सं.	संदाय की तारीख	रकम	बीएसआर कोड
1.			
(iii)	कर बकाया के विरुद्ध कुल भुगतान		
भाग च	आवेदक द्वारा देय/वापस यथास्थिति योग्य शुद्ध राशि: भाग घ (i) या घ (ii) सकता है, कम भाग ड (iii)		

सत्यापन	
मैं..... का पुत्र/पुत्री श्री..... (बड़े अक्षरों में नाम)	
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ज्ञान और विश्वास से सबसे अच्छा करने के लिए इसमें दी गई जानकारी घोषणा सही और पूर्ण है और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार है।	

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता से यह घोषणा कर रहा हूँ क्योंकि (प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)

.....

.....

..... और मैं इस घोषणा को करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या धारक हूँ (यदि आवंटित किया जाता है)

स्थान.....

तारीख.....

घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची क लागू होती है जहां घोषणा विवादित कर से संबंधित होती है (पैन के मामले में लागू)

संयोजन: विवादित कर + सीआईटी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची I. 31.01.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती की लंबित है या सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील फ़ाईल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील या फ़ाईल की जानी है	क	
	एक से बाहर विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	बी(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर।	ग	
घ	ख(ii) विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ङ	गआईटी(क) द्वारा वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो,	ङ	
च	कुल विवादित कर (ग+घ+ङ)	च	
छ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	छ	
ज	विवादित कर पर वसूला जुर्माना	ज	
झ	बकाया कर (च+छ+ज)	झ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.5 * ग + घ + ई$ यदि खोज मामला $0.625 * ग + 1.25 * घ + 1.25 * ई$	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.55 * ग + 1.1 * घ + 1.1 * ई$ यदि खोज मामला $0.675 * ग + 1.35 * घ + 1.35 * ई$	म	

संयोजन: विवादित कर + डीआरपी ड्राफ्ट आदेश + निर्धारिती

अनुसूची II. ड्राफ्ट निर्धारण आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने डीआरपी के साथ आक्षेप फ़ाईल की है के मामले में भरा जाएगा और 31.01.2020 को डीआरपी ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है या एओ द्वारा पारित प्रारूप आदेश के विरुद्ध आक्षेप भरने की समय-सीमा 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुई है।

क	प्रारूप आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध आपत्ति की जानी है या फ़ाईल की जानी है	क	
ख	ए से बाहर विवादित आय -		
	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)	ज	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.5*ग+घ$ यदि खोज मामला $0.625*ग + 1.25*घ$	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.55*ग+1.1*घ$ यदि खोज मामला $0.675*ग+1.35*घ$	म	

संयोजन: विवादित कर+डीआरपी दिशा + निर्धारिती

अनुसूची III. डीआरपी ने निर्धारिती द्वारा फ़ाईल किए गए आक्षेपों के प्रत्युत्तर में अधिनियम की धारा 144 ग के निर्देश जारी किए हैं मामले में फाइल किए जाएंगे एवं निर्धारण अधिकारी 31.01.2020 को डीआरपी द्वारा जारी ऐसे निर्देशों के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया है।

क	घआरपी के निर्देशानुसार कुल आय	क	
ख	ए से बाहर विवादित आय		
	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) के सिवाय अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)	ज	

भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.5*ग+घ$ यदि खोज मामला $0.625*ग+1.25*घ$	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.55*ग+1.1*घ$ यदि खोज मामला $0.675*ग+1.35*घ$	म	

संयोजन: विवादित कर+आईटीएटी+निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	क	
	क से बाहर विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर बसूला गया ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर बसूला जुर्माना	छ	
ज	कर बकाया (ड.+च+छ)	ज	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.5*ग+घ$ यदि खोज मामला $0.625*ग+1.25*घ$	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.55*ग+1.1*घ$ यदि खोज मामला $0.675*ग+1.35*घ$	म	

संयोजन: विवादित कर + आईटीएटी + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	क	
ख	क से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर बसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+इ)	च	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला $0.5*ग$ यदि खोज मामला $0.625*ग$	भ	

म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग यदि खोज मामला 0.675*ग	म	
---	--	---	--

संयोजन: विवादित कर+एचसी+निर्धारिती

अनुसूची VI. निर्धारिती की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में निर्धारिती द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	क से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ड.	
च	कर बकाया (ग+घ+ई)	च	
भ	घटीवीएसवी के अधीन देय राशि 31.03.2020 को या उससे पहले यदि गैर खोज मामला ग यदि खोज मामला 1.25*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 1.1*ग यदि खोज मामला 1.35*ग	म	

संयोजन: विवादित कर+एचसी+विभाग

अनुसूची VII. विभाग की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	ए से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ड.	
च	कर बकाया (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग यदि खोज मामला 0.625*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग यदि खोज मामला 0.675*ग	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + निर्धारिती

अनुसूची VIII निर्धारिती को अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली अपील विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्धृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ख खोजा नहीं गया है, यदि मामला 1.25*ग खोज लिया गया है।	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*ग खोज लिया गया है	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + विभाग

अनुसूची IX विभाग को अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका का 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है या विभाग द्वारा एसग में अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली/विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्धृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला खोजा नहीं गया है 0.5*ग यदि मामला खोजा गया है 0.625*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*ग खोजा गया है	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + 264 + निर्धारिती

अनुसूची X धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन 31.01.2020 तक पीसीआईटी/सीआईटी के समक्ष लंबित है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के अतिरिक्त विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्धृहीत शास्ति	ड.	

च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25ग खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है। यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्था + निर्धारिती

अनुसूची XI निर्धारिती के माध्यस्थम या सुलह या मध्यस्थता का 31.01.2020 तक तक लंबित होने, की दशा में भरें।

क	माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्थता के फाइल किए जाने के विरुद्ध कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख पर विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्धृति शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ग खोजा नहीं गया है, यदि मामला 1.25*ग खोजा गया है।	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।	म	

ख. अनुसूची लागू होगी जहां विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस (टीएन के लिए लागू) से संबंधित घोषणा है।

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+सीआईटी(ए)+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 1 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक सीआईटी(ए) के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा सीआईटी(ए) के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम		क	क(i)+क(ii)
	(i)	विवादग्रस्तों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है।)	क(i)	
	(ii)	क(i) से अन्यथा विवादग्रस्त से संबंधित	क(ii)	
ख	का प्रभाव की वृद्धि, यदि कोई हो, सीआईटी (क) द्वारा		ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज		ग	
घ	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उद्धृति शास्ति		घ	
ड.	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग+घ)		ड.	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क(i)+1.25*क(ii)+1.25*ख खोजा गया है		भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क(i)+1.35*क(ii)+1.35*ख खोजा गया है		म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 2 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम		क	क(i)+क(ii)
	(i)	विवादग्रहकों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है)	क(i)	
(ii)	क(i) से अन्यथा विवादग्रहक से संबंधित	क(ii)		
ख	का प्रभाव की वृद्धि, यदि कोई हो, गआईटी (क) द्वारा	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ		
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5* क(i)+क(ii) खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क(i)+1.25*क(ii) खोजा गया है	भ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55* क(i)+1.1*क(ii) खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क(i)+1.35*क(ii) खोजा गया है	म		

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+विभाग

अनुसूची 3 विभाग की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 4 निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	

घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+विभाग

अनुसूची 5 विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उद्वृहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एससी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 6 निर्धारिती की अपील या रिट या विशेष इजाज़त याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है		
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उद्वृहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एसग+विभाग

अनुसूची 7 विभाग की अपील या रिट या विशेष इजाजत याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा एचग में अपील या विशेष इजाजत याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

संयोजन : विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+ डिडक्टर/ कलेक्टर

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए

अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि			
क	टी डी एस/ टी सी एस व्यतिक्रम जिसके लिए पुनरीक्षित आवेदन दायर किया गया	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस/ टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैर तलाशी मामला क यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क	म	

संयोजन: विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस मध्यस्थता / सुलह / मध्यकता / निर्धारिती

अनुसूची IX. 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि			
क	टी डी एस /टी सी एस व्यतिक्रम के लिए मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता फाइल की गई है।	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस /टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस /टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैर तलाशी मामलों 1.25* क		

म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क		
ग. अनुसूची, जहां घोषणा केवल विवादग्रस्त जुर्माना, ब्याज या शुल्क से संबंधित है, लागू करें (पी ए एन और टी ए एन के लिए लागू)			

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + सी आई टी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची I: निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को सी आई टी (ए) के समक्ष लंबित या सी आई टी (ए) के समक्ष अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई या की जाने वाली है।		
ख	विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की राशि (क) में से	क	
	(i) विवादग्रहकों से संबंधित, जो कि आई टी ए टी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उसके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	ख(i)+ ख(ii)
	(ii) ख (i) से अन्यथा विवादग्रहक से संबंधित	ख(ii)	
ग	सी आई टी (क) द्वारा बढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित जुर्माना या ब्याज या शुल्क		
घ	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)+ ग	घ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि=0.15*ख (i)+0.3*ख (ii)+0.3*ग	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + निर्धारिती

अनुसूची II : निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के कारण विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज/ शुल्क	ख	ख(i)+ख (ii)
	(i) विवादग्रहकों से संबंधित, जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उनके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख (ii) से अन्यथा विवादग्रहक से संबंधित से अन्यथा	ख (ii)	
ग	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)	ग	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि = 0.125* ख(i)+0.25* ख (ii)	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि = 0.15*ख(i)+0.3*ख (ii)	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + विभाग

अनुसूची III. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	विवादग्रहकों से संबंधित विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज /शुल्क जिस पर अपील फाइल की गई है या की जाने वाली है	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स ख	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.3*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवादग्रहकों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची VI निर्धारिती की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या एस एल पी फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.25*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.3 *ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + विभाग

अनुसूची VII . विभाग की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या एस एल पी फाईल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवादग्रस्तों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0. 15*ख	म	

संयोजन विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+निर्धारिती

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए।

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि			
क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आवेदन फाईल किया गया	क	
ख	विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क पुनरीक्षित आवेदन में उठाए गए विवादग्रस्तों पर	ख	
घ	बकाया टैक्स (ख)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.25*ख)	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.3 *ख)	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज और शुल्क +मध्यस्थता /सुलह / मध्यकता + निर्धारिती

अनुसूची IX : 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि			
क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता फाईल किया गया है	क	
ख	विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क मध्यस्थता (ख) में उठाए गए विवादग्रस्तों पर	ख	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला क यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क	भ	
म	3.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क	म	

अनुसूची घ यदि अपीलार्थी द्वारा अवनत हानि /मूल्य हास का प्रभाव रखने वाले अतिरिक्तों पर या अग्रणीत किए गए एम ए टी प्रत्यय पर कर का संदाय नहीं किए जाने का चयन किया जाता है तब निम्नलिखित अनुसूची के सुसंगत स्तंभ से भरा जाए।

शेष हानि /मूल्य ह्रास/एम ए टी प्रत्यय	शेष हानि	शेष मूल्य ह्रास	एम ए टी प्रत्यय
निर्धारिती द्वारा लाए गए दावे के रूप में (क)			
निर्धारिती द्वारा आगे किए गए दावे के रूप में (ख)			
विवादग्रस्त आय (ग)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार लाया जाना (घ)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार आगे बढ़ाना (ड.)			

अनुदेश देखें:

प्ररूप-2

[नियम 3 (2) देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वचनबंध

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

सेवा में,

अभिहित प्राधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

*मैं, (नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री.....पैन/आधार संख्या..... प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के फायदे का उपभोग करने के लिए, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईत्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों को त्याग देने का विनिश्चय करता हूँ।

*मैं,नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र /पुत्री श्रीपदनाम.....हूँ मुझे (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका पैन/आधार संख्या..... है(घोषणाकर्ता का नाम) की ओर से मैं इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के फायदे के उपभोग करने के लिए ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईत्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों को त्याग देने का विनिश्चय करता हूँ।

उपरोक्त वचनबंध अप्रतिसंहरणीय है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से अवगत हूँ।

.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

.....

पदनाम

तारीख.....

.....

घोषणाकर्ता का पैन/आधार संख्या

टिप्पण :

इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप -1 में घोषणा के समय कर बकाया की बाबत भी वचनबंध दिया जाए।

प्ररूप-3

[नियम 4 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

श्री/श्रीमती/कुमारी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) पैन/आधार संख्या ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन घोषणा फाइल किया है ;

और उक्त घोषणा अभिहित प्राधिकारी के कार्यालय में तारीख को प्राप्त हुई है ।

अतः, अब, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित रकम अधिनियम के अधीन उक्त घोषणा के अंतर्गत आने वाला कर बकाया के पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा संदाय किए जाने के लिए अवधारित किए गए हैं :

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	विवाद समाधान के ब्यौरें	कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित आस्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर-बकाया (रु.)	धारा 3 के अधीन संदेय रकम	कर-बकाया के लिए स्वतः संदाय रकम	संदेय/प्रतिदेय के लिए शेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)

घोषणाकर्ता को निदेशित किया जाता है कि वह संदेय राशि का संदाय रकम, यदि कोई हो, इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उपरोक्त स्तंभ (7) के अनुसार करे।

उक्त अवधि के भीतर संदेय रकम के असंदाय की बाबत प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह कभी नहीं दिया गया है।

प्रमाणपत्र सं.

.....

स्थान

अभिहित प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, और मोहर

तारीख

प्ररूप-4

[नियम 5 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन संदाय की सूचना

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

सेवा में,

अभिहित प्राधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

1. प्ररूप-3 में अभिहित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र के अनुसरण में प्रमाणपत्र सं. तारीख की बाबत (घोषणाकर्ता का नाम) पैन/आधार संख्या/टैन..... ए.वाई./एफ.वाई के लिए संदाय किए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	बैंक की बी.एस.आर. कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्र.सं.	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. अपील, रिट याचिका, विशेष इजाजत याचिका, माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता या दावा का प्रत्याहरण किया गया है (कृपया प्रत्याहरण का सबूत अपलोड करें)।

स्थान :

तारीख :

प्ररूप-5

[नियम 7 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5(3) के अधीन कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 (घोषणाकर्ता का नाम और पैन/आधार सं./टैन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन घोषणा किया था ;

और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय/वापस किए गए रूपए..... की रकम को अवधारित करने के आदेश की तारीख..... द्वारा अभिहित प्राधिकारी के कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के संबंध में ऐसे अवधारणा के पश्चात् कर बकाया और संदेय/वापस किए गए रकम की विशिष्टियाँ उसमें उपवर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) आदेश पत्र सं..... तारीख..... में अवधारित कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा रूपए की रकम का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कर बकाया की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने से या उक्त अधिनियमिति (अधिनियम की धारा 6 के अनुसार) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है :

निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	निपटारे गए विवादों का ब्यौरा	कर बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित शास्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर बकाया की रकम

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन घोषणा करते हुए कर स्थिति के स्वीकृति नहीं करेगा और यह आयकर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता के लिए अपील या रिट याचिका या विशेष इजाजत याचिका में एक पक्षकार होते हुए विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह प्रतिवाद करे कि घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, विवाद के निपटारे के लिए विवादित मुद्दे पर निर्णय में उपमत्त हो।

स्थान.....

.....

तारीख.....

अभिहित प्राधिकारी

सेवा में,

- (1) घोषणाकर्ता
- (2) निर्धारण अधिकारी
- (3) संबद्ध प्रधान आय-कर आयुक्त
- (4) संबद्ध अपीलीय फोरम

टिप्पण : जो लागू न हो, उसे काट दें।

[अधिसूचना सं. 18/2020/फा.सं./ IT(A)/1/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2020

The Direct Tax Vivad Se Vishwas Rules, 2020

S.O. 1129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 read with sub-sections (1) and (5) of section 4 and sub-sections (1) and (2) of section 5 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Direct Tax Vivad se Vishwas Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020);
- (b) “dispute” means appeal, writ or special leave petition filed or appeal or special leave petition to be filed by the declarant or the income-tax authority before the Appellate Forum, or arbitration, conciliation or mediation initiated or given notice thereof, or objections filed or to be filed before the Dispute Resolution Panel under section 144C of the Income-tax Act, or application filed under section 264 of the Income-tax Act;
- (c) “eligible search cases” means cases in which an assessment has been made under sub-section (3) of section 143 or section 144 or section 153A or section 153C of the Income-tax Act on the basis of search initiated under section 132 or section 132A of the Income-tax Act and the amount of disputed tax does not exceeds five crore rupees;
- (d) “Form” means the Forms appended to these rules;
- (e) “issues covered in favour of the declarant” means issues in respect of which –
- (i) an appeal or writ or special leave petition is filed or appeal or special leave petition is to be filed by the income-tax authority before the appellate forum or
- (ii) an appeal is filed or to be filed before the Commissioner (Appeals) or objections is filed or to be filed before the Dispute Resolution Panel by the declarant, on which he has already got a decision in his favour from Income Tax Appellate Tribunal (where the decision on such issue is not reversed by the High Court or the Supreme Court) or the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court), or
- (iii) an appeal is filed or to be filed by the declarant before Income Tax Appellate Tribunal on which he has already got a decision in his favour from the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court);
- (f) “section” means section of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020);
- (g) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or Income-tax Act, 1961 shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

3. Form of declaration and undertaking.—(1) The declaration under sub-section (1) of section 4 shall be made in Form-1 to the designated authority.

(2) The undertaking referred to in sub-section (5) of section 4 shall be furnished in Form-2 along with the declaration.

(3) The declaration under sub-rule (1) and the undertaking under sub-rule (2), as the case may be, shall be signed and verified by the declarant or any person competent to verify the return of income on his behalf in accordance with section 140 of the Income-tax Act, 1961.

(4) The designated authority on receipt of declaration shall issue a receipt electronically in acknowledgement thereof.

4. Form of certificate by designated authority.— The designated authority shall grant a certificate electronically referred to in sub-section (1) of section 5 in Form-3.

5. Intimation of payment.- The detail of payments made pursuant to the certificate issued by the designated authority shall be furnished along with proof of withdrawal of appeal, objection, application, writ petition, special leave petition, arbitration, conciliation, mediation or claim filed by the declarant to the designated authority in Form-4.

6. Manner of furnishing.- The Form-1 and Form-2 referred to in rule 3 and Form-4 referred to in rule 5 shall be furnished electronically under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature or, in other cases through electronic verification code.

Explanation. – For the purpose of this rule, “electronic verification code” shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Income-tax Rules, 1962.

7. Order by designated authority.-The order by the designated authority under sub-section (2) of section 5, in respect of payment of amount payable by the declarant as per certificate granted under sub-section (1) of section 5, shall be in Form-5.

8. Laying down of procedure, formats and standards.-The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for furnishing and verifying the declaration in Form-1 under sub-rule (1) of rule 3, furnishing and verifying the undertaking in Form-2 under sub-rule (2) of rule 3, granting of certificate in Form-3 under rule 4, intimation of payment and proof of withdrawal in Form-4 under rule 5 and issuance of order in Form-5 under rule 7 and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said declaration, undertaking, certificate, intimation and order.

9. Manner of computing disputed tax in cases where loss or unabsorbed depreciation is reduced.-(1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in loss or unabsorbed depreciation to be carried forward under the Income-tax Act, the declarant shall have an option to –

(i) include the tax, including surcharge and cess, payable on the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced in the disputed tax and carry forward the loss or unabsorbed depreciation by ignoring such amount of reduction in loss or unabsorbed depreciation; or

(ii) carry forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation.

(2) Where the declarant exercises the option as per clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation in subsequent years:

Provided that the written down value of the block of asset on the last day of the year, in respect of which unabsorbed depreciation has been reduced, shall not be increased by the amount of reduction in unabsorbed depreciation:

Provided further that in cases other than the eligible search cases, in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant:

Provided also that in case of eligible search cases, in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one and one-fourth times of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction and where the one and one-fourth times of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced exceeds the amount of loss to be carried forward before its reduction, such excess shall be ignored:

Provided also that in case of eligible search cases in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), five-eighth of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

10. Manner of computing disputed tax in cases where Minimum Alternate Tax (MAT) credit is reduced.-(1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in Minimum Alternate Tax (MAT) credit to be carried forward, the declarant shall have an option to

(i) include the amount by which MAT credit to be carried forward is reduced in disputed tax and carry forward the MAT credit by ignoring such amount of reduction, or

(ii) carry forward the reduced MAT credit.

(2) Where the declarant exercises the option as per clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward reduced MAT credit in subsequent years:

Provided that in cases other than the eligible search cases, in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant:

Provided further that in case of eligible search cases, in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one and one-fourth times of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction and where the one and one-fourth times the amount by which MAT credit is reduced exceeds the amount of MAT credit to be carried forward before its reduction, such excess shall be ignored:

Provided also that in case of eligible search cases in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), five-eighth of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

Explanation – For the purpose of this rule MAT credit means tax credit as per the provisions of section 115JAA or 115JD of the Income-tax Act.

11. Manner of computing disputed tax in certain cases – (1) Where the dispute includes issues covered in favour of declarant, the disputed tax in respect of such issues shall be the amount, which bears to tax, including surcharge and cess, payable on all the issues in dispute, the same proportion as the disputed income in relation to issues covered in favour of declarant bear to the disputed income in relation to all the issues in dispute.

FORM-1 (see rule 3) Form for filing declaration																																													
PART A – GENERAL INFORMATION																																													
PAN / Aadhaar No.																		Name of appellant	TAN											Mobile No.															
Email Address																																													
INFORMATION RELATING TO ELIGIBILITY																																													
Whether the applicant is appellant in terms of section 2 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (DTVSV) and is not ineligible to apply in terms of section 9 of DTVSV?															Yes	No																													
Option exercised by Appellant Whether opting to pay tax on reduction of losses or depreciation or MAT credit If Yes go to relevant schedule under A; If No fill up schedule D																																													
PART B – INFORMATION RELATING TO DISPUTE																																													
Nature of tax arrear				Disputed tax/ Disputed Interest/ Disputed Penalty/ Disputed Fee				Details of pending* appeal / writ / SLP / DRP Objections / Revision application/Arbitration/Conciliation/Mediation–						(Drop down to be provided in e- filing utility) Based on the combination of nature of disputed tax, appellate forum and appellant relevant schedule will be filled by the declarant																															
								(1) Whether Appeal /objection/revision/Writ / LP/Arbitration/Conciliation/Mediation? (2) Appellate Forum – CIT(A) / DRP/CIT/PCIT/TAT / HC / SC (3) Whether already filed? – Yes/No (4) If No, date on which time-limit for filing expires in case of assessee (5) If yes, filed by – (Tick the relevant option) – Assessee / Department / Both (6) Date on filing (7) Reference number (8) Whether DRP case? (9) If yes, whether directions passed by DRP on or before 31.1.2020? (10) If yes, whether order passed by AO? (If yes, not eligible) (11) Whether revision application case? (12) If yes, date of filing *Pending also include to be filed																																					
Details of order by which tax arrear determined				(Drop down to be provided in the e- utility)				If declaration is with respect to appeal, writ, SLP, arbitration, conciliation or mediation for disputed tax including disputed TDS/TCS appeal, is there pending appeal, writ or SLP for interest or penalty imposed in relation to such disputed tax - YES/ NO						If yes, give details of such appeal, writ or SLP.(details to be captured in e-filing utility)																															
(1) Assessment Year / Financial Year																																													
(2) Section under which order passed (there could be multiple sections for same assessment year)																																													

(3)	Income-tax authority / Appellate Forum who passed the order (there could be multiple orders for same assessment year)			
(4)	Date on which order passed (there could be multiple dates for same assessment year)			
(5)	Whether search case with disputed tax less than Rs. 5 crores in the assessment year? (information flag relevant for rate at which amount payable is to be computed)			
PART C – INFORMATION RELATED TO TAX ARREARS				
(i)	Tax arrears (as per schedule)			
PART D – INFORMATION RELATED TO AMOUNT PAYABLE				
(ii)	Total amount payable under DTVSV if paid on or before 31.3.2020			Pick up from X from relevant schedule (in case of both assessee and deptt appeal, add them up)
(ii)	Total amount payable under DTVSV if paid after 31.03.2020			Pick up from Y from relevant schedule (in case of both assessee and deptt appeal, add them up)
PART E – INFORMATION RELATED TO PAYMENTS AGAINST TAX ARREAR				
(i)	Whether the declarant has made any payment against tax arrears before filing of declaration?			Yes No
(ii)	If yes, please fill following details			
S. No.	Date of payment	Amount	BSR Code	
1.				
(iii)	Total payments against tax arrears			
Part F	Net amount payable/refundable by the appellant: Part D (i) or D (ii), as the case may be, less Part E (iii)			
VERIFICATION				
I(name in block letters) son/daughter of Shri solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this declaration is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020.				
I further declare that I am making this declaration in my capacity as (drop down to be provided) and that I am competent to make this declaration and verify it. I am holding permanent account number / Aadhaar No. _____ (if allotted)				
Place				
Date				
Name and signature of the declarant				

A Schedules applicable where declaration relates to disputed tax (Applicable in case of PAN)**Combination: Disputed tax + CIT(A) + Assessee**

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
B	Disputed income out of A		
	(i) relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii) relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Tax effect of enhancement, if any, by CIT(A)	E	
F	Total disputed tax (C+D+E)	F	
G	Interest charged on disputed tax	G	
H	Penalty levied on disputed tax	H	
I	Tax arrears (F+G+H)	I	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C + D + E$ If search case $0.625 * C + 1.25 * D + 1.25 * E$	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C + 1.1 * D + 1.1 * E$ If search case $0.675 * C + 1.35 * D + 1.35 * E$	Y	

Combination: Disputed tax + DRP draft order + Assessee

Schedule II. To be filled in case assessee has filed objections with DRP against draft assessment order and DRP has not issued any directions as on 31.01.2020 or the time-limit to file objections against draft order passed by AO has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per draft order against which objections filed OR to be filed		A	
B	Disputed income out of A -			
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
D	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
E	Total disputed tax (C+D)		E	
F	Interest charged on disputed tax		F	
G	Penalty levied on disputed tax		G	
H	Tax arrears (E+F+G)		H	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C + D$ If search case $0.625 * C + 1.25 * D$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C + 1.1 * D$ If search case $0.675 * C + 1.35 * D$		Y	

Combination: Disputed tax + DRP direction + Assessee

Schedule III. To be filled in case DRP has issued directions u/s 144C of the Act in response to objections filed by the assessee and Assessing Officer has not passed the order as per such directions issued by DRP as on 31.01.2020

A	Total income as per directions of DRP		A	
B	Disputed income out of A			
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
D	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
E	Total disputed tax (C+D)		E	
F	Interest charged on disputed tax		F	
G	Penalty levied on disputed tax		G	
H	Tax arrears (E+F+G)		H	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C + D$ If search case $0.625 * C + 1.25 * D$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C + 1.1 * D$ If search case $0.675 * C + 1.35 * D$		Y	

Combination: Disputed tax + ITAT + Assessee

Schedule IV. To be filled in case appeal of assessee is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed		A	
B	Disputed income out of A			
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
D	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
E	Total disputed tax (C+D)		E	
F	Interest charged on disputed tax		F	

G	Penalty levied on disputed tax	G	
H	Tax arrears (E+F+G)	H	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C + D$ If search case $0.625 * C + 1.25 * D$	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C + 1.1 * D$ If search case $0.675 * C + 1.35 * D$	Y	

Combination: Disputed tax + ITAT + Department

Schedule V. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in ITAT has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C$ If search case $0.625 * C$	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C$ If search case $0.675 * C$	Y	

Combination: Disputed tax + HC + Assessee

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal / writ filed OR appeal to be filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case $1.25 * C$	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $1.1 * C$ If search case $1.35 * C$	Y	

Combination: Disputed tax + HC + Department

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in HC has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal/ writ filed OR appeal to be filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * C$ If search case $0.625 * C$	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * C$ If search case $0.675 * C$	Y	

Combination: Disputed tax + SC + Assessee

Schedule VIII. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed OR appeal / SLP to be filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	

D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case 1.25*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*C If search case 1.35*C	Y	

Combination: Disputed tax + SC + Department

Schedule IX. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal or SLP by the department in SC has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed OR appeal /SLP to be filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C If search case 0.625*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*C If search case 0.675*C	Y	

Combination : Disputed tax + 264 + Assessee

Schedule X. To be filled in caserevision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which revision application filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case 1.25*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*C If search case 1.35*C	Y	

Combination: Disputed tax + Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule XI. To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which arbitration / conciliation / mediation has been filed	A	
B	Disputed income out of A	B	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case 1.25*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*C If search case 1.35*C	Y	

B. Schedules applicable where declaration relates to disputed TDS/TCS (Applicable for TAN):**Combination: Disputed TDS / TCS + CIT(A) + Deductor/Collector**

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

		<u>Appeal reference number</u>		
A	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed		A	A(i)+A(ii)
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any financial year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
B	Tax effect of enhancement, if any, by CIT(A)		B	
C	Interest charged on disputed TDS / TCS		C	
D	Penalty levied on disputed TDS / TCS		D	
E	TDS / TC Sarrears (A+B+C+D)		E	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * A(i) + A(ii) + B$ If search case $0.625 * A(i) + 1.25 * A(ii) + 1.25 * B$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * A(i) + 1.1 * A(ii) + 1.1 * B$ If search case $0.675 * A(i) + 1.35 * A(ii) + 1.35 * B$		Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + ITAT + Deductor/Collector

Schedule II. To be filled in case appeal of assessee is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

		<u>Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed</u>	A	A(i)+A(ii)
A	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment financial year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS		B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * A(i) + A(ii)$ If search case $0.625 * A(i) + 1.25 * A(ii)$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * A(i) + 1.1 * A(ii)$ If search case $0.675 * A(i) + 1.35 * A(ii)$		Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + ITAT + Department

Schedule III. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in ITAT has not expired on 31.01.2020.

		<u>Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed</u>	A	
A	TDS/TCS default for which appeal is filed OR to be filed		A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS		B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case $0.5 * A$ If search case $0.625 * A$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $0.55 * A$ If search case $0.675 * A$		Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + HC + Deductor/Collector

Schedule IV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before High Courts as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

		<u>Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed</u>	A	
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed OR appeal to be filed		A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS		B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case $1.25 * A$		X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case $1.1 * A$ If search case $1.35 * A$		Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + HC + Department

Schedule V. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in HC has not expired on 31.01.2020.

Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed OR appeal to be filed	A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A If search case 0.625*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A If search case 0.675*A	Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + SC + Deductor/Collector

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed OR appeal / SLP to be filed	A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y	

Combination : Disputed TDS/TCS + SC + Department

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal or SLP by the department in SC has not expired on 31.01.2020.

Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed or appeal / SLP to be filed	A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A If search case 0.625*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A If search case 0.675*A	Y	

Combination: Disputed TDS/TCS + 264 + Deductor/Collector

Schedule VIII. To be filled in caserevision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which revision application filed	A	
B	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y	

Combination: Disputed TDS/TCS + Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule IX. To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which arbitration or conciliation or mediation has been filed		A
B	Interest charged on disputed TDS / TCS		B
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A		X
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A		Y

C. Schedule applicable where declaration relates to disputed penalty, interest or fee only (Applicable for PAN & TAN)**Combination: Disputed penalty/interest/fee + CIT(A) + Assessee**

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal filed OR to be filed		A
B	Disputed amount of penalty / interest / fee out of A		B
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)
C	Penalty or interest or fee proposed to be enhanced by CIT(A)		C
D	Tax arrears (B(i)+B(ii)+C)		D
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C		X
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C		Y

Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Assessee

Schedule II. To be filled in case appeal of assessee is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal has been filed OR to be filed		A
B	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee -		B
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)
C	Tax arrears (B(i) + B(ii))		C
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B(i) + 0.25*B(ii)		X
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B(i) + 0.3*B(ii)		Y

Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Department

Schedule III. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the department before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty/interest/fee as per order against which appeal filed OR to be filed		A
B	Disputed penalty / interest / fee relating to issues on which appeal has been filed or to be filed		B
C	Tax arrears (B)		C
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B		X
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B		Y

Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Assessee

Schedule IV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before High Court as on 31.01.2020 or time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal or writ has been filed OR appeal to be filed		A
B	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee		B
C	Tax arrears (B)		C
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.25*B		X
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.3*B		Y

Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Department

Schedule V. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the department before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal or writ has been filed or appeal to be filed	A	
B	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	B	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Assessee

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal or writ or SLP has been filed OR appeal / SLP to be filed	A	
B	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	B	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.25*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.3*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Department

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or time for filing appeal or SLP by the department before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal or writ or SLP has been filed OR appeal / SLP to be filed	A	
B	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	B	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + 264 + Assessee

Schedule VIII. To be filled in case revision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed			
A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which revision application filed	A	
B	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in revision application	B	
D	Tax arrears (B)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 (0.25*B)	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 (0.3*B)	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee+ Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule IX. To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed			
A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which arbitration or conciliation or mediation has been filed	A	
B	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in arbitration (B)	B	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y	

Schedule D : In case the appellant opts not to pay tax on additions having effect of reducing loss/depreciation or MAT credit carried forward then the relevant column of the following schedule is to be filled up.

Unabsorbed loss/depreciation/MAT credit	Unabsorbed loss	Unabsorbed depreciation	MAT Credit
Brought forward as claimed by assessee (A)			
Carried forward as claimed by assessee (B)			
Disputed income* (C)			
Brought forward as per order of income-tax authorities (D)			
Carried forward as per order of income-tax authorities (E)			

* see instructions

Form-2

[See rule 3(2)]

UNDERTAKING UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 4 OF THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)**THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020**

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

*I,(name in block letters) son/daughter of Shri having PAN/Aadhaar number/TAN.....having decided to avail the benefit of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 do hereby voluntarily waive all my rights, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the tax arrear which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

*I,(name in block letters) son/daughter of Shridesignation.....on behalf of (name of declarant) having PAN/Aadhaar number/TANbeing duly authorised and competent in this regard, the..... (name of declarant) having decided to avail the benefit of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 do hereby voluntarily waive all its rights, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the tax arrear which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

The above undertaking is irrevocable.

I also confirm that I am aware of all the consequences of this undertaking.

Place:

.....

Signature/Verification

Date:

Note:

*Strike off whichever is not applicable.

The undertaking is to be furnished in respect of tax arrear along with the declaration in Form-1.

Form-3

[See rule 4]

FORM FOR CERTIFICATE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 5 OF THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)**THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020**

Whereas Mr./Mrs./M/s..... (hereinafter referred to as the declarant) having PAN/Aadhaar number/TAN.....has filed a declaration under section 4 of the Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Act and after consideration of relevant material, the following amounts are hereby determined to be payable by the declarant towards full and final settlement of the tax arrear covered by the said declaration under the Act:

Sl. No.	Assessment year/ Financial year	Details of dispute settled	Nature of tax arrear (disputed tax/ disputed penalty/ disputed interest/ disputed fee)	Tax arrear (Rs.)	Amount payable under section 3 (Rs.)	Amount already paid against tax arrear	Balance amount payable/ refundable after adjusting amount already paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) – (7)

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable, if any, as per column (7) above within thirty days from the date of receipt of this certificate.

In case of non-payment of amount payable within the said period, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made.

Certificate No.

Place

Date

.....

(Designated Authority)

Form-4

[See rule 5]

INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 50F OF THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)

THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

1. Pursuant to the certificate received from designated authority in Form-3 vide certificate No. _____ dated _____ in respect of _____

(Name of the declarant) _____ PAN/Aadhaar number/TAN _____ for A.Y./ F.Y. _____, the detail of payments made is as under:

Sl.	BSR Code of Bank	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. The appeal, objections, application, writ petition, special leave petition, arbitration, conciliation, mediation or claim has been withdrawn (please upload proof of withdrawal with number and forum thereof).

Place:

Date:

Form-5

[See rule 7]

ORDER FOR FULL AND FINAL SETTLEMENT OF TAX ARREAR UNDER SECTION 5 (2) READ WITH SECTION 6 OF THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)**THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020**

Whereas.....(Name and PAN/Aadhaar number/TAN of the declarant)(hereinafter referred to as declarant) had made a declaration under section 4 of the Act;

And whereas the designated authority by Certificate No.dated determined the amount of rupees payable by / refundable to the declarant in accordance with the provisions of the Act and granted a certificate setting forth therein the particulars of the tax arrear and the amount payable / refundable after such determination towards full and final settlement of tax arrear;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 read with section 6 of the Act, it is hereby certified that-

- (a) a sum of Rs. has been paid by the declarant towards full and final settlement of tax arrear determined in the order No.dated; and
- (b) the immunity is granted subject to the provisions contained in the Act, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Income-tax Act or from the imposition of penalty under the said enactment[as per section 6 of the Act], in respect of the tax arrear as detailed in the table below:

Assessment year/ Financial year	Details of dispute settle	Nature of tax arrear(disputed tax / disputed penalty / disput interest / disputed fee)	Amount of tax arrear

It is hereby clarified that making a declaration under this Act shall not amount to conceding the tax position and it shall not be lawful for the income-tax authority or the declarant being a party in appeal or writ petition or special leave petition to contend that the declarant or the income-tax authority, as the case may be, has acquiesced in the decision on the disputed issue by settling the dispute.

Place

Date (Designated Authority)

To

- (1) The declarant
- (2) Assessing Officer
- (3) Concerned Principal Commissioner of Income-tax
- (4) Concerned Appellate Forum

Note : Strike-off whatever is not applicable.

[Notification No.18/2020, F. No. IT(A)/1/2020-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.